

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 3(4)नवि/II/2021


जयपुर, दिनांक: 8 NOV 2021

आदेश

“ प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 ” के सुचारु संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए श्री मोहम्मद रफीक, उद्यान अधीक्षक, नगर विकास न्यास, भीलवाडा को नगर विकास न्यास, भीलवाडा में कार्यों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए, नगर परिषद् चित्तौडगढ में दिए गए अतिरिक्त कार्यभार को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौडगढ।
6. संबंधित अधिकारी।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय